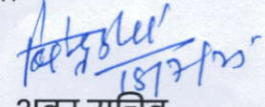


बिहार विधान सभा सचिवालय

आवश्यक सूचना

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प जापांक-12575, दिनांक 09.07.2025 एवं पत्रांक-12585, दिनांक. 09.07.2025 द्वारा बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवाओं/संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में शत-प्रतिशत राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य किये जाने का प्रावधान किया गया है।

तदालोक में सूचित किया जाता है कि बिहार विधान सभा सचिवालय द्वारा नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन/जिन विज्ञापनों में परीक्षाफल प्रकाशित किया जाना शेष है - ऐसे सभी मामलों में यह संकल्प तत्काल प्रभाव से लागू माना जायेगा।


अवर सचिव

बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना